राजस्थान–सरकार

न्यायालय तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी --कपिल कुमार (आर.टी.एस.) प्रकरण सं0:– 59/2018

अन्तर्गत धारा 91 राज.भू–राज.अधिनियम 1956

सरकार बनाम श्री गिरधारी, झावर, केशरदेव पुत्र श्री नानगाराम जाति माली निवारी चिराना तहसील नवलगढ।

–: निर्णय :– दिनांक 03.01.2020

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी वकील उपस्थित पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। संक्षेप में प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का चिराना की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम चिराना स्थित भूमि खसरा नम्बर 370 रकबा 0.26 हैक्टेयर किस्म गै.मु. नाला पर 240 वर्गमिटर भूमि पर मिट्टी की डोल लगाकर श्री गिरधारी, झावर, केशरदेव, पुत्र श्री नानगाराम जाति माली निवासी चिराना तहसील नवलगढ (राज.) द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को नोटिस जारी किये गये। तामिल पश्चात अप्रार्थी नियत तिथि को उपस्थित होकर जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी गणों द्वारा प्राप्त जवाब अनुसार तथ्य पेश किया गया कि खसरा नम्बर 370 गैर मुमकीन पहाड़ में पानी बहकर आने वाली पानी का नला में मिल जाता है। जिस पर सत्यनारायण पूर्व सरपंच, चिराना द्वारा गेर मुमकिन नाले पर अतिक्रमण कर उसको पत्थर वगैरह डालकर लेवल करवा दिया है इस प्रकार की शिकायत अप्रार्थी द्वारा किया जाना बताया है जिसके पश्चात गलत तथ्य बनाकर अप्रार्थी को झुठा नोटिस जारी किया गया है। जिसकी पूनः जांच करवायी जाकर मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु निवेदन किया गया है।

अतः अप्रार्थी की ओर से दिये गये जवाब के संबंध में गिरदावर हल्का, चिराना द्वारा जांच कर जांच रिपोर्ट चाही गई जिसमें गिरदावर हल्का द्वारा दर्शाया गया कि ख.न. 370 रकबा 0.26 किस्म गै.मु. नाले पर गिरधारी, झाबरमल, केशरदेव पुत्र नानगाराम के द्वारा अतिक्रमण किया गया है जिसको पत्रावली में शामिल मिसल किया जाकर निर्धारित तिथि पत्रावली पेश किया गया व अधिवक्ता को बार–बार आवाज लगायी गयी, अवाज लगाने के पश्चात भी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी अनुपस्थित। अनुपस्थित रहने पर अप्रार्थी के विरूध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अतः गिरदावर हल्का, चिराना एवं पटवारी [illegible] तथा अप्रार्थी द्वारा पेश किया गया जवाब एवं पत्रावली में शामिल [illegible] एवं मनन किया राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वर्तमान में उक्त ख.न. 370 रकबा 0.26 है. किस्म गै.मु. नाला गिरधारी, झाबरमल, केशरदेव पुत्र नानगाराम द्वारा 240 वर्ग मीटर भूमि पर मिट्टी की डोल लगाकर अतिक्रमण किया गया है अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar
Date: 2021.02.19 14:37:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

के तहत अतिक्रमी माना जाकर अतिक्रमी के विरूध नियमानुसार कार्यवाही कि
,। है।

अतः पटवारी हल्का, चिराना एवं गिरदावर हल्का की रिपोर्ट अनुसार अतिक्रमी को मौके पर बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। अप्रार्थी द्वारा किये गये अतिक्रमण के फलस्वरूप अप्रार्थी को शरह लगान का 50 गुणा अर्थात् 37/– रूपये के आर्थिक दण्ड (तावान्) से दण्डित किया जाता है। तावान् कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार को तहरीर जारी हो। अतिक्रमी की भौतिक बेदखली हेतु भू.अ. निरीक्षक व पटवारी हल्का चिराना को लिखा जावे तावान की वसूली हेतु पटवारी को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दप्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **03.01.2020** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल कुमार)
तहसीलदार नवलगढ़

खाते सं. 4 वर्ष 19-20 के पृ. सं. 78
पर 37/– की मांग कायम की गई।
17/01/2020
तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील, नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kapil Kumar
Date: 2021.02.19 14:37:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner